**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 412**

**उत्तर देने की तारीखः 13.12.2018**

**पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाना**

**412. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने हेतु कोई सुझाव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीबीएसई कानून के माध्यम से परीक्षा पद्धति में व्यापक सुधार करने की योजना भी बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): मार्च-अप्रैल 2018 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की वेबसाइट के माध्यम से पाठ्यचर्या बोझ को कम करने के संबंध में शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एमएचआरडी वेबसाइट पर हाइपरटेक्स्ट को लिंक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर हाइपरलिंक प्रदान करके पाठ्यचर्या को तर्कसंगत बनाने के लिए सुझाव/फीडबैक एकत्र करने की प्रक्रिया में मदद की है। बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कक्षा IX और XII के लिए पाठ्यचर्या को तर्कसंगत बनाने हेतु प्रस्ताव को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के साथ साझा किया गया है।

(ग) और (घ): परीक्षा प्रक्रियाओं में संशोधन जैसे समूह मूल्यांकन की शुरूआत, कौशल शिक्षा और अन्य लघु विषय जिसमें अभ्यर्थी कम संख्या में प्रवेश लेते हैं, के लिए फरवरी में परीक्षा का आयोजन इत्यादि को बोर्ड द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया गया है।

\*\*\*\*\*